यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पिथौरागढ़ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पिथौरागढ़ के माह 03/2018 से 02/2019 तक के लेखा-अभिलेखों की लेखापरीक्षा पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन श्री संजय कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री अनिल कुमार, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री एस. के. जौहरी, लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में दिनांक 08.03.2019 से 20.03.2019 तक सम्पादित की गयी।

भाग-I

1). परिचयात्मकः इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री दयाशंकर, व. लेखापरीक्षक एवं श्री शरत श्रीवास्तव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 08.03.2018 से 20.03.2018 तक श्री सुनील कल्ला, व. लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 06/2014 से 02/2018 तक के लेखा-अभिलेखों की जांच की गयी थी।

2). (i). इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः विभाग का सृजन ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग के नाम से सन 1972 में हुआ। उत्तर प्रदेश से विभाजित उत्तराखण्ड राज्य में ग्राम्य विकास विभाग के विभिन्न विकास कार्यों के निर्माण कार्य का दायित्व विभाग को सौपा गया है। विभागीय पुनर्गठन के पश्चात ग्रामीण निर्माण विभाग के नाम से विभाग वर्तमान में विभिन्न विभागों के आवासीय / अनावासीय भवनों का निर्माण, नाबार्ड के अन्तर्गत स्वीकृत विभिन्न ग्रामीण मोटर मार्गों का निर्माण, पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण, दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त योजनाओं के पुन:निर्माण एवं विभिन्न खेल मैदानों का निर्माण आदि कार्य जो सुदूर आँचलों में स्थित है, का निष्पादन करवाया जाता है।

ii). (अ). विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	स्थापना			गैर- स्थापना				
	आवंटन धनराशि	व्यय धनराशि	बचत	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	189.61	189.61	0	1554.70	927.92	2482.62	1385.72	1096.90
2016-17	207.24	207.24	0	1096.90	634.56	1731.46	884.34	847.12
2017-18	259.01	259.01	0	847.12	881.28	1728.40	640.03	1088.37
2018-19 (till 02/2019)	287.37	252.07	35.30	1088.37	856.27	1944.64	702.53	1242.11

(ब). Autonomous Bodies की इकाइयों के विगत वर्षो में बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैं:

(रु लाख में)

वर्ष	लागू नही	लागू नही	लागू नही
प्रारम्भिक शेष			
वर्ष के दौरान प्राप्तिया (क) केंद्रान्श (ख) राजयांश (ग) अन्य प्राप्तिया			
व्यय			
अंतिम शेष			

(स). केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(रु लाख में)

वित्तीय वर्ष	नाबार्ड				
	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	2.502	304.95	307.45	97.746	209.71

2016-17	209.71	324.98	534.69	247.22	287.47
2017-18	287.47	213.91	501.38	198.02	303.36
2018-19 (Till 02/2019	303.36	200.69	504.05	121.7	382.34

वित्तीय वर्ष	सांसद निधि				
	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	0.41	2.25	2.66	0	2.66
2016-17	2.66	12.38	15.04	11.11	3.92
2017-18	3.92	6.79	10.71	9.88	0.83
2018-19 (Till 02/2019	0.83	10.44	11.27	6.37	4.9

वित्तीय वर्ष	बी0ए0डी0पी0				
	प्रारम्भिक अवशेष	वर्ष के दौरान प्राप्ति	कुल प्राप्ति	व्यय	अवशेष
2015-16	8.68	0	8.68	2.08	6.59
2016-17	6.59	11.87	18.46	0.72	17.74
2017-18	17.74	15.1	32.84	12.34	20.5
2018-19 (Till 02/2019	20.5	8.6	29.1	18.25	10.85

iii). विभिन्न विभागों से निक्षेप के रूप में प्राप्त धनराशि एवं राज्य सरकार द्वारा आवंटित धनराशि के व्यय को सम्मिलित करते हुए इकाई 'A' श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः-

<u>तकनीकी संवर्ग 1).</u> मुख्य अभियंता (स्तर – 1), 2).मुख्य अभियंता (स्तर- 2), 3). अधीक्षण अभियंता (परिमण्डलवार), 4). अधिशासी अभियंता (प्रखण्डवार), 5). सहायक अभियन्ता, 6).कनिष्ठ अभियन्ता, 7).मानचित्रकार

<u>गैर-तकनीकी संवर्ग:</u> 1). वित्त नियंत्रक, 2). खंडीय लेखाकार / खंडीय लेखाधिकारी, 3). प्रशासनिक अधिकारी, 4). वैयक्तिक सहायक, 5). प्रधान सहायक, 6). वरिष्ठ सहायक, 7). कनिष्ठ सहायक, 8). अनुसेवक

iv). लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः वर्तमान लेखापरीक्षा 03/2018 से 02/2019 तक की अवधि को आच्छादित करते हुए कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड-पिथौरागढ़ के लेखा-अभिलेखों की नमूना जांच के आधार पर की गयी। यह निरीक्षण प्रतिवेदन कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पिथौरागढ़ की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 07/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया। प्रतिचयन अधिकतम व्यय के आधार पर किया गया।

v). लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद- 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13; लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

vi). खण्ड के भण्डार लेखों की अर्धवार्षिक लेखा बन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमशः 09/2017 तक की गई।

vii). फार्म 51: माह 02/2019 तक कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, देहरादून को प्रेषित किया चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वीतीय के अवशेष निम्नवत हैः- (धनराशि रु में)

भाग प्रथम रु (-) 11,40,061/-

भाग द्वीतीय रु (+) 24,88,943/-

viii). खण्ड के उचंत लेखों के अवशेष माह 02/2019 के अन्त में (धनराशि रु में)

क). प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम रु 8,95,731/-

ख). सामग्री क्रय रु NIL

ग). नकद परिशोधन रु NIL

घ). निक्षेप रु 12,42,11,096/-

ड़). भण्डार रु NIL

भाग-दो(ब)

प्रस्तर 01-निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि रु.135.71लाख को अनावश्यक अवरुद्ध रखा जाना ।

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ के निक्षेप कार्यों से संबन्धित निक्षेप पंजिका भाग-3 का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि 09 विभागों के 49 निर्माण कार्य विगत 01 वर्ष से लेकर 1.5 वर्ष की अवधि पूर्व ही पूर्ण किए जा चुके थे परंतु इन कार्यों के पूर्ण हो जाने के पश्चात भी निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि(135.71लाख) संबन्धित विभागों को वापस न की जाकर इकाई द्वारा अपने पास अनावश्यक रूप से अवरुद्ध रखी गयी थी(संलग्नक-1)।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 514 के अनुसार "It is an object of great importance to close the accounts of works as soon as possible after actual work of construction is completed." एवं प्रस्तर 519(ब) के अनुसार "In case of deposit work, steps should be taken promptly to surrender the unexpended balance, if any, of the deposit with the approval of the divisional officer."

उपरोक्त नियमों के आलोक मे पूर्ण किए जा चुके निर्माण कार्यों के अवशेष धनराशि यथा शीघ्र संबन्धित विभागों को वापस कर दी जानी चाहिए थी परंतु विभाग द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूंछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर मे बताया कि पूर्ण किए गए कार्यों की अवशेष धनराशि को शीघ्र ही संबन्धित विभागों को वापस कर दिया जाएगा । अवशेष धनराशि की वापसी के उपरांत लेखाबन्दी की कार्यवाही की जाएगी । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है एवं इकाई द्वारा अवशेष धनराशि शीघ्र वापस करने के संबंध मे आश्वासन दिया गया है । अतः निर्माण कार्यों की अवशेष धनराशि रु.135.71लाख को अनावश्यक अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

संलग्नक -1

विभाग का नाम	कार्य का नाम	02/2019 को अवशेष धनराशि
शिक्षा विभाग	रा०क०उ०मा०वि० तामानौली का निर्माण	238582
	रा०इ०का०शेराघाट मुख्य भवन का निर्माण	1041069
	रा०इ०का० तामानौली मुख्य भवन का निर्माण	632473
	रा०उ०मा०वि० मड़ मुख्य भवन का निर्माण	550800
	रा०उ०मा०वि० तड़ेमिया मुख्य भवन का निर्माण	120306
	रा०उ०मा०वि० वुसैल मुख्य भवन का निर्माण	568335
	रा०उ०मा०वि० धुर्चू का निर्माण	530472
	रा०इ०का० गणई गंगोली का निर्माण	552438
	रा०उ०मा०वि० शल्या का निर्माण	121389
	रा०उ०मा०वि० गोगना का निर्माण	105516
	रा०उ०मा०वि० तड़ेमिया की अतिरिक्त छत दीवारपुनर्निर्माण	742706
	रा०उ०मा०वि० पोखरी का निर्माण	886596
पशुपालन	पशुचिकित्सालय बड़ावे में टाइप 2-दो आवासों का निर्माण	234035
	विकास खण्ड मूनाकोट में साइलेज यूनिट का निर्माण	93736
	कुक्कुट प्रक्षेत्र विण में बाउन्ड्रीवाल	810080
स्वास्थ्य	ANM प्रशिक्षण केन्द्र बड़ालू	61777
	स्वास्थ्य उपकेन्द्र कुनलता	213000
	स्वास्थ्य उपकेन्द्र नरूवाघोल	160014
	होम्योपैथिक चिकित्सालय निर्माण	50403
समाज कल्याण	ग्राम चिट्गल में बारात घर बहुउद्देशीय भवन निर्माण/	121115
	ग्राम डंडे में बारात घरबहुउद्देशीय भवन निर्माण/	107907
	ग्राम धौराला में बारात घरबहुउद्देशीय भवन निर्माण/	619278
	ग्राम वैशाली में बारात घर बहुउद्देशीय भवन/निर्माण	54383
	ग्राम नाकोट में बारात घरबहुउद्देशीय भवन निर्माण/	96747
	ग्राम कल्याणी में बारात घरबहुउद्देशीय भवन निर्माण/	235995
	ग्राम वज्यूड़ा में बारात घरबहुउद्देशीय भवन निर्माण/	132921
	ग्राम भाटगड़ में बारात घरबहुउद्देशीय भवन निर्माण/	72548
	अनुसूचितजाति बालकछात्रावास पिथौरागढ़ में मरम्मतकार्य	68594
सहकारिता	साधन सहकारिता समिति सांगणी का निर्माण	134697
	साधन सहकारिता समिति भडमानले का निर्माण	69011
	संगौण सहकारिता समिति गोदाम निर्माण	176748
	एचोली साधन सहकारी समिति का निर्माण	86673
पर्यटन	जिला कार्यालय पिथौरागढ़ के ब्लॉक ABC में पेंटिंग कार्य	50231
युवा कल्याण	ग्राम पंचायत फुट्शिल में क्रीड़ा स्थल	100000
	ग्राम पंचायत कुशैल में क्रीड़ा स्थल	100000
	ग्राम पंचायत मूनाकोट के व्यौड़ी में क्रीड़ा स्थल	56198
	ग्राम पंचायत उपराड़ा में क्रीड़ा स्थल	50000
	ग्राम पंचायत वाफिला में क्रीड़ा स्थल	51757
	झूलाकोट में खेल मैदान निर्माण	113089
ग्राम्य विकास	ग्राम सभा देवराड़ीपन्त में टाइप 2-आवास निर्माण	1011659
	सामुदायिक विकास सहबाजार केन्द्र घाघल	745066
	सामुदायिक विकास सहबाजार केन्द्र देवराड़ीपन्त	196975
	ग्राम सभा जाखनीउप्रेती में टाइप 2-आवास निर्माण	162657
	ग्राम सभा भट्टीगाँव में टाइप 2-आवास निर्माण	103880
	विकास खण्ड परिसर विण में टाइप 3-आवास	295491

	ग्राम सभा नैनी में आवास निर्माण	251903
	ग्राम सभा कांडे में टाइप 2-आवास निर्माण	293793
	विकास भवन पिथौरागढ़ में जनसूचना केन्द्र का निर्माण	210712
आयुर्वेदिक	आयुर्वेदिक चिकित्सालय भिनगड़ी अवशेष कार्य	87238
कुल धनराशि		**135,70,993**

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर- 2- बिना किसी स्वीकृति के रु. 65.90 लाख का व्यायाधिक्य।

वित्तीय हस्तपुस्तिका के वॉल्यूम-6 के नियम 381 के अनुसार "No material alteration in sanctioned designs may be made by a divisional officer in carrying out any work, without the approval of the superintending engineer. Should any alteration of importance, involving additional expanse, be considered necessary, a revised or supplementary estimate should be submitted for sanction. In urgent cases, where the delay thus caused would be inconvenient, an immediate report of the circumstances must be made to the superior authority and deal with as the case may require. In the case of material modifications of or deviations from a sanctioned estimate it is the duty of the executive officers to see that sanction of the competent authority is obtained."

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की जांच मे पाया गया कि-

1. जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत विकासखंड विण मे राजकीय कुक्कुट प्रक्षेत्र की बाउंड्री वाल का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित चाहरदिवारी की लंबाई 640 मीटर थी । ग्राहक विभाग पशुपालन द्वारा इस संबंध मे रु.55.00 लाख की धनराशि आवंटित की गयी थी। अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग पिथौरागढ़ द्वारा उक्त कार्य हेतु रु. 55.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य हेतु एक अनुबंध संख्या 14/SE/2017-18 का गठन किया गया था जिसके अंतर्गत कार्य पूर्ण करने की तिथि 20.09.18 थी । कार्य की मापपुस्तिका 353/L के अनुसार कार्य 22.08.2018 को पूर्ण किया जा चुका था। विभाग द्वारा इस कार्य का अंतिम देयक तैयार किया जा चुका था परंतु ठेकेदार को लेखापरीक्षा तिथि(03/2019) तक भुगतान नहीं किया गया था। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि संपादित कार्य के अंतर्गत लगभग सभी कार्य मदों मे अनुबंधित मात्रा से काफी अधिक मात्रा मे कार्य कर रु.7.96 लाख का व्यायाधिक्य किया गया ,जबकि इस व्यायाधिक्य को करने से पूर्व न तो सक्षम अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त की गयी थी एवं न ही लेखापरीक्षा तिथि (03/2019)तक कोई विचलनपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया गया था । व्यायाधिक्य की गयी मद एवं मूल्य का विवरण निम्नवत है ।

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि
14/SE	Earthwork in excavation	259.68 cum	293.78 cum	34.10	160.91	5487
	P&L CC in plinth level	53.76 cum	60.52 cum	6.76	3793.69	25645
	P&L CC 1:1.5:3	78.38 cum	81.06 cum	2.68	6216.24	16660
	1:1.5:3 up to floor level	35.13 cum	42.50 cum	7.37	6843..05	50433
	Columns,Pillars,Abutment	460.35 sqm	527.82 sqm	67.47	372.62	25141
	RR Masonry laid in 1:6	106.92 cum	163.46 cum	56.54	2900.00	163966
	Half brick masonry FPS	658.15 sqm	784.17 sqm	126.02	800.00	100816

	Brick work with FPS	12.57 cum	29.76 cum	17.19	6000.00	103140
	Structural steel work	8235.00 kg	10008.24 kg	1773.24	77.00	136539
	12 mm cement plaster	1534.90sqm	2387.19 sqm	852.29	108.60	92559
	walls Acrylic paint	1534.90sqm	2271.01 sqm	736.11	100.00	73611
	Enamel paint	267.30 sqm	291.46 sqm	24.16	90.00	2174
Total						**7,96,171**

इसके अतिरिक्त इस अनुबंध के अंतर्गत निम्नवत कार्य अतिरिक्त कार्य मदों के रूप मे विना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए कराये गए जो नियमानुसार अनुचित है तथा लेखापरीक्षा तिथि (मार्च 2019) तक कोई विचलनपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं कराया गया था ।

अनुबंध संख्या	अतिरिक्त कार्य	मात्रा	मूल्य	भुगतानित राशि
14/SE	Plaster drip course	3386.32	39.11	132439
	Steel work in builtup tubular	678.70	98.90	67123
	RR masonry laid dry	13.29	1489.54	19796
	PCC in foundation	10.03	5152.70	51682
	Fencing with angle iron	1894.05	9.04	17122
Total				**2,88,162**

(2) जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत विकासखंड मूनाकोट के गोगीना सल्ला मोटरमार्ग से चिंगरीपन्ना चौड़ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.50 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 164.74 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग ,पिथौरागढ़ द्वारा रु 147.60 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । कार्य की अवशेष धनराशि बाद मे उपलब्ध कराये जाने के कारण पुनरीक्षित आगणन का गठन किया गया जिसके अंतर्गत स्टेज-1 के अवशेष कार्यों तथा स्टेज-2 के कार्यों हेतु रु.92.55 लाख की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी । प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 01 अनुबंध 28/EE का गठन किया गया था तथा पुनरीक्षित आगणन के अंतर्गत स्टेज-1 के अवशेष कार्य तथा स्टेज-2 के के कार्यों हेतु एकसाथ अधीक्षण अभियंता स्तर पर निविदा आमंत्रित की गयी जिसके अंतर्गत एक अनुबंध संख्या 15/SE/2017-18 का गठन किया गया ।

कार्य की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि अनुबंध संख्या 28/EE एवं 15/SE मे अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा मे कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप रु.6.31लाख का व्यायाधिक्य किया गया । वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के नियम 381 के अनुसार व्यायाधिक्य करने से पूर्व सक्षम अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए तथा इस निमित्त

विचलन प्रपत्र तैयार कर तत्काल सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है परंतु इकाई द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । व्यायाधिक्य की गयी मद एवं मूल्य का विवरण निम्नवत है ।

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि
28/EE	RR Stone masonry laid dry	135.44Cum	181.88Cum	46.44	1532.90	71188
	RRStone masonry laid in 1:6	665.00 Cum	684.21 Cum	19.21	2777.10	53348
	Exvation for structure	57.00 Cum	170.32 Cum	113.32	237.50	26914
	CC 1:4:8 with 40mm blast	17.00 Cum	22.24 Cum	5.24	5285.40	27695
15/SE	RRStone masonry laid in 1:6	112.50Cum	205.29 Cum	92.79	2850.00	264452
	GSB	519.75 Cum	592.27 Cum	72.52	1561.00	113204
	Hand packed stone	72.00 Cum	77.81 Cum	5.81	598.00	3475
	Cement plum masonry 40&60%	40.50 Cum	42.60 Cum	2.10	2959.00	6214
	PCC in substructure	6.30 Cum	7.52 Cum	1.22	6583.00	8031
	S&F HYSD	2.47 Qtl	4.18 Qtl	1.71	4391.00	7509
	WBM Grade-II	519.75 Cum	543.87 Cum	24.12	2015.00	48602
Total						**6,30,632**

इसके अतिरिक्त अनुबंध संख्या 28/EE के अंतर्गत निमन्वत कार्य अतिरिक्त कार्य मदों के रूप मे विना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किए कराये गए तथा उनका भुगतान किया गया जो नियमानुसार अनुचित था तथा लेखापरीक्षा तिथि (फरवरी 2019) तक कोई विचलनपत्र तैयार कर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत नहीं कराया गया था ।

अनुबंध संख्या	अतिरिक्त कार्य	मात्रा	मूल्य	भुगतानित राशि
28/EE	Construction of 1.00Mtr.span scupper of RR stone 1:6	30.83	21791.90	671844
	Providing edgestone on vellyside	555	122.50	67988
Total				**7,39,832**

(3)शासनादेश संख्या 146/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनांक 16.12.2015 द्वारा खटेड़ा से तिपुलकोट सोनगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु रु. 412.31 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी । मार्ग की लंबाई 3.40 किमी॰ थी । कार्य दो चरणों मे पूरा किया जाना था तथा प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु.199.43 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । कार्य की लेखा परीक्षा मे पाया गया कि अनुबंध संख्या 10/EE मे अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा मे कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप रु.7.28लाख का व्यायाधिक्य किया गया । वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के नियम 381 के अनुसार व्यायाधिक्य करने से पूर्व सक्षम अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए तथा इस निमित्त विचलन प्रपत्र तैयार कर तत्काल सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है परंतु इकाई द्वारा इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी । व्यायाधिक्य की गयी मद एवं मूल्य का विवरण निम्नवत है

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि
10/EE	RRStone masonry laid in 1:5	98.00 Cum	205.27 Cum	107.27	3471.50	372388
	Exvation in soil in hillarea	168.00 Cum	364.82 Cum	196.82	112.10	22064
	Cement plum masonry1:3:7	12.00 Cum	82.26Cum	70.26	4774.00	335421
Total(Contract is below by 0.2%)						**7,28,413**

(4) जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत विकासखंड विण के बांस-पाभे मोटर रोड के भताड़ तोक से ल्वारकूड़ा,नगीना तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.35 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 192.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग ,पिथौरागढ़ द्वारा प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु 121.77 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त कार्य हेतु मार्च 2017 मे रु.55.34 लाख की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करा दी गयी थी। प्राप्त धनराशि के अंतर्गत प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर के 01 अनुबंध(05/SE/2017-18) का गठन किया गया था। लेखा परीक्षा मे पाया गया कि अनुबंध संख्या 05/SE मे अनुबंधित मात्रा से अधिक मात्रा मे कार्य किए जाने के परिणाम स्वरूप रु.34.08 लाख का व्यायाधिक्य किया गया । वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के नियम 381 के अनुसार व्यायाधिक्य करने से पूर्व सक्षम अधिकारी को सूचित कर अनुमति प्राप्त की जानी चाहिए तथा इस निमित्त विचलन प्रपत्र तैयार कर तत्काल सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराया जाना आवश्यक है परंतु इस प्रकार का कोई अभिलेख/स्वीकृतिपत्र इकाई द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया । व्यायाधिक्य की गयी मद एवं मूल्य का विवरण निम्नवत है ।

अनुबंध संख्या	मद का नाम	अनुबंधित मात्रा	निष्पादित मात्रा	अंतर	मद का मूल्य	व्यायाधिक्य धनराशि
05/SE	RR Stone masonry laid dry	474.65Cum	659.15Cum	184.50	1960.70	361749
	Exvation for structure	217.74Cum	452.63Cum	234.89	278.80	65487
	RRStone masonry laid in 1:6	490.00 Cum	1455.99Cum	965.99	3085.40	2980466
Total						**34,07,702**

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे आपत्ति किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि व्यायाधिक्य की धनराशि का विचलन प्रपत्र बनाकर सक्षम अधिकारी से स्वीकृत करा लिया जाएगा तथा अतिरिक्त मदों की स्वीकृति सक्षम अधिकारी से प्राप्त कर ली जाएगी । इकाई का उत्तर स्वतः ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि करता है । अतः रु. 65.90 लाख (10.84+13.70+7.28+34.08 लाख) का बिना किसी अनुमति के व्यायाधिक्य किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-03- अनुबंधित समयावधि के अंतर्गत कार्य पूर्ण न किए जाने के परिणामस्वरूप दंडात्मक धनराशि रु. 15.69 लाख की वसूली नहीं किया जाना।

अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के अभिलेखों की नमूना जांच मे पाया गया कि निम्नवत निर्माण कार्यों के अंतर्गत अनुबंध किए गए थे । अनुबंध के साथ संलग्न GPW 9 clause 04 मे समाहित शर्तों के अनुसार शिडयूल A मे दर्शाये माइलस्टोन के अंतर्गत कार्य सम्पन्न किया जाना था तथा विपरीत स्थिति मे बिलंब से कार्य किए जाने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए दंडात्मक धनराशि अधिरोपित कर वसूले जाने की व्यवस्था की गयी थी ,जिसके अंतर्गत प्रथम माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 2.5% राशि,द्वितीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 3.5% राशि, तथा तृतीय माइल स्टोन को प्राप्त न किए जाने की स्थिति मे अनुबंधित धनराशि की 4.0% राशि ठेकेदार के बिलो से रोकी जाएगी तथा यदि सम्पूर्ण कार्य चतुर्थ माइल स्टोन की अवधि मे पूरा नहीं किया जाता है तो रोकी गयी सम्पूर्ण धनराशि (अनुबंधित राशि का 10%) जब्त कर ली जाएगी एवं अन्यथा की स्थिति मे ठेकेदार के बिलों से वसूल की जाएगी । लेखा परीक्षा में पाया गया कि-

(1) जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत विकासखंड मूनाकोट के गोगीना सल्ला मोटरमार्ग से चिंगरीपन्ना चौड़ तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.50 किमी थी। कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 164.74 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग ,पिथौरागढ़ द्वारा रु 147.60 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी। कार्य की अवशेष धनराशि बाद मे उपलब्ध कराये जाने के कारण पुनरीक्षित आगणन का गठन किया गया जिसके अंतर्गत स्टेज-1 के अवशेष कार्यों तथा स्टेज-2 के कार्यों हेतु रु. 92.55 लाख की पुनरीक्षित तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी । प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधिशासी अभियंता स्तर के 01 अनुबंध का गठन किया गया था तथा पुनरीक्षित आगणन के अंतर्गत स्टेज-1 के अवशेष कार्य तथा स्टेज-2 के कार्यों हेतु एकसाथ अधीक्षण अभियंता स्तर पर निविदा आमंत्रित की गयी जिसके अंतर्गत एक अनुबंध संख्या 15/SE/2017-18 का गठन किया गया ।

संलग्नक-1 के अनुसार दोनों अनुबन्धो के अंतर्गत कार्य क्रमशः माह 09/2016 एवं माह 12/2018 मे पूर्ण किए जाने थे जिनमे से एक कार्य 03 माह के बिलंब से पूरा किया गया था तथा दूसरा 03 माह से अधिक की अवधि बीत जाने के पश्चात भी अपूर्ण था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 10.31 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी ।

(2) जनपद पिथौरागढ़ के अंतर्गत विकासखंड विण के बांस-पाभे मोटर रोड के भताड़ तोक से ल्वारकूड़ा,नगीना तक ग्रामीण मोटर मार्ग का निर्माण किया जाना था । प्रस्तावित मोटर मार्ग की लंबाई 1.35 किमी थी । कार्य को दो चरणों मे सम्पन्न किया जाना था जिसमे स्टेज -1 के कार्यों के अंतर्गत हिल कटिंग ,ड्रैनेज एवं क्रास ड्रैनेज तथा रिटइनिंग/ब्रेस्ट बॉल के कार्य किए जाने थे । इस कार्य हेतु रु 192.85 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी एवं अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग ,पिथौरागढ़ द्वारा प्रथम चरण के कार्यों हेतु रु 121.77 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त कार्य हेतु मार्च 2017 मे रु.55.34 लाख की धनराशि शासन द्वारा उपलब्ध करा दी गयी थी। प्राप्त धनराशि के अंतर्गत प्रथम चरण के कार्यों के सम्पादन हेतु अधीक्षण अभियंता स्तर के 01 अनुबंध(05/SE/2017-18) का गठन किया गया था। संलग्नक-2 के अनुसार कार्य माह 12/2017 मे पूर्ण किया जाना था परंतु उपरोक्त कार्य निर्धारित अवधि से 05 माह अधिक की अवधि लेकर भी अपूर्ण था । अतः उपरोक्त शर्तानुसार समय से कार्य पूर्ण न करने पर ठेकेदार के विरुद्ध दंडात्मक कार्यवाही करते हुए अनुबंधित राशि की 10% धनराशि रु. 5.38 लाख की दंडात्मक वसूली की जानी चाहिए थी । परंतु इकाई द्वारा ठेकेदार के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी थी।

लेखा परीक्षा द्वारा इस संबंध मे पूछे जाने पर इकाई द्वारा बताया गया कि ठेकेदार द्वारा समयवृद्धि हेतु वर्तमान तक आवेदन पत्र नहीं दिया गया है । ठेकेदार से आवेदनपत्र प्राप्त होने पर उच्चाधिकारियों की स्वीकृति हेतु भेजा जाएगा । दंडात्मक धनराशि की वसूली ठेकेदार के अंतिम देयक /जमानत धनराशि से कर ली जाएगी। इकाई के उत्तर से स्पष्ट है कि उसके द्वारा लेखा परीक्षा आपत्ति को स्वीकार किया गया है तथा धनराशि को वसूल करने का आश्वासन दिया गया है अतः कुल 15.69 लाख(10.31+5.38=15.69 लाख) की दंडात्मक धनराशि की वसूली न किए जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

संलग्नक-1

अनुबंध संख्या	अनुबंधकेअनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब(02/19तक)	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
28/ईई/2015-16	19.09.16	15.12.16/03माह	3561311	3276617
15/एसई/2017-18	16.12.18	अपूर्ण/03 माह	6749873	4241555
			103,11,184	

संलग्नक-2

अनुबंध संख्या	अनुबंधकेअनुसार कार्य पूर्ण करने की तिथि	कार्य पूर्ण करने की वास्तविक तिथि/ बिलंब	अनुबंध की धनराशि	अध्यतन भुगतान की राशि
05/एसई/2017-18	11.12.17	25.5.18/ 05माह	5382470	4840268
			53,82,470	

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-4: "Delegation of Financial Power" द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (`40.00 लाख) का उल्लंघन कर एक ही फ़र्म को` रु 74.91 लाख के कार्य आवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 मे वर्णित प्रस्तर 370 (I) के अनुसार -

No authority may enter into a contract/agreement into which he is not empowered to enter under paragraph 368 ("Delegation of Financial Powers" by the State Government) or which infringes the rule in paragraph 369 of the FHB (Vol-6).

The Rule-369 provides that 'No individual contractor may receive second contract in connection with the same work or estimate while the first is still in force, if the total sum of his contracts exceeds the powers of acceptance of the authority concerned'.

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण निर्माण विभाग, पिथौरागढ़ के निर्माण सम्बन्धी अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि उत्तराखण्ड के शासनादेश संख्या: 146/XII-2/2015/83(04)/2014 दिनाँक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा खतेड़ा से तिपुलकोट सोनगाँव मोटर मार्ग (ल.-3.40 किमी.) के निर्माण हेतु प्राक्कलन लागत ₹412.31 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी।यह कार्य दो चरणों में पूर्ण किया जाना था। प्रथम चरण के कार्य हेतु रु 199.43 लाख की तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गई थी।लेखापरीक्षा जांच मे पाया गया कि Delegation of Power द्वारा निर्धारित सीमा (रु40.00 लाख) और FHB Vol- VI के प्रस्तर-369 के प्रावधानों के विरूद्ध इकाई द्वारा एक ही ठेकेदार श्री अजय महर के साथ अधिशासी अभियंता स्तर पर एक ही कार्य के 04 पृथक-पृथक अनुबंध गठित किये गये। खण्ड द्वारा स्टेज-I के कार्य हेतु गठित 04 अनुबन्धों में से 03 अनुबन्धों(धनराशि रु74.91लाख) के कार्य एक ही ठेकेदार को आवंटित कर उपरोक्त नियम का उल्लंघन किया जिसका विवरण निम्नवत है:-

Name of Firm/Contractor	***Agreements No.***	***Cost of Agreement (Amount in Rs.)***
Sh. Ajay Mahar	02/EE/2015-16,Dt.14-04-2016	1754197.00
	10/ EE/2015-16,Dt.22-07-2016 Actual Date of Completion- 22-10-17	2162345.00
	01/EE/2017-18,Dt.24-05-2017	3574488.00
	TOTAL	**7491030.00**

लेखापरीक्षा द्वारा इस संबंध मे इंगित किए जाने पर इकाई ने अपने उत्तर मे बताया कि कार्य के अन्तर्गत धनराशि किश्तों में प्राप्त होने के कारण प्राप्त धनराशि के अनुसार कार्य की निविदा आमंत्रित की गई, लेखापरीक्षा द्वारा इंगित ठेकेदार को तीनों निविदायों में न्यूनतम पाये जाने के फलस्वरूप अनुबंधित किया गया,लेखापरीक्षा द्वारा चिन्हित नियमों का भविष्य में परिपालन सुनिश्चित किया जाएगा। अतः "Delegation of Financial Power" द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा (`40.00 लाख) का उल्लंघन कर एक ही फर्म को रु.74.91 लाख के कार्य आवंटित कर अदेय लाभ पहुँचाये जाने का प्रकरण संज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर</u>-1:- धनराशि रु 5.68 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखा जाना।

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड- 6 के नियम- 622 के अनुसार तीन वर्षों तक रोकी गई धनराशि का दावा न किये जाने पर अदावाकृत धनराशि को व्यपगत धनराशि के रूप में राजस्व खाते जमा कर दिया जाना चाहिए। (In the accounts for the march each year, the balances unclaimed for more than three complete account year, in the public works deposits account should carried out to the revenues of the State or the Central Government as lapsed deposits).

कार्यालय अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पिथौरागढ़ की निक्षेप पंजिका भाग- प्रथम (cash deposits of subordinates as security) एवं द्वितीय (cash deposits of contractors as security) के नमूना लेखापरीक्षा जाँच में पाया गया कि प्रखण्ड द्वारा संलग्नक- 'अ' के अनुसार निक्षेप पंजिका प्रथम में माह 08/1995 की धनराशि रु 3,700/- एवं संलग्नक- 'ब' के अनुसार निक्षेप पंजिका भाग- द्वीतीय में माह 08/2014 से माह 02/2015 तक की धनराशि रु 5,64,736/- अदावाकृत पड़ी हुई पाई गई। कुल अदावाकृत धनराशि रु 3,700 + 5,64,736 = रु 5,68,436/-/- तीन वर्षो से अधिक समय व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी राजस्व खाते में जमा किए जाने की कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार लगभग 03 वर्ष से 24 वर्षों से इकाई में कुल अदावाकृत धनराशि रु 5,68,436/- लेखापरीक्षा अवधि के माह 02/2019 तक अवरुद्ध रखी हुई पायी गई।

इस सन्दर्भ में लेखापरीक्षा में इंगित किये जाने पर अधिशासी अभियंता ने लेखापरीक्षा आपत्ति को स्वीकार करते हुए कहा कि *" सम्बन्धित को धनराशि के सम्बन्ध में अवगत कराया गया किन्तु किसी ठेकेदार द्वारा दावा पेश न किए जाने के कारण अदावाकृत पड़ी है, इस सम्बन्ध में पृथक से कार्यवाही की जाएगी"* उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योकि 03 वर्ष से 24 वर्ष से अधिक समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी धनराशि रु 5,68,436/- अदावाकृत अवस्था में आपके प्रखण्ड में माह 02/2019 तक अवरुद्ध पायी गई।

अतः धनराशि रु 5.68 लाख की धनराशि अवरुद्ध रखे जाने का प्रकरण प्रकाश मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण:-

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	अनिस्तारित प्रस्तरों की कुल संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या	STAN
SS/ AIR- 04 /2005-06	1	---	1	---
SS/ AIR- 24 /2006-07	1	1	-----	----
SS/ AIR- 63/2010-11	3	---	3	---
SS/ AIR- 75/2011-12	4	1	3	---
SS/AIR- 33/2014-15	3	---	1,2,3	---
SS/AIR- 226/2017-18	4	---	1,2,3,4	---

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
SS/ AIR- 04 / 2005-06	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	लंबित ऑडिट प्रस्तरों की अनुपालन आख्या उच्चाधिकारियों के अनुमोदन पश्चात लेखापरीक्षा को प्रेषित की जायेगी।	प्रस्तर यथावत रखा जाता है।	--
SS/ AIR- 24 / 2006-07	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1	तदैव	तदैव	--
SS/ AIR- 63/ 2010-11	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 3	तदैव	तदैव	---
SS/ AIR- 75/ 2011-12	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- 1 भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 3	तदैव	तदैव	---
SS/AIR- 35/ 2014-15	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3	तदैव	तदैव	---
SS/AIR- 226/ 2017-18	भाग- 2'अ' प्रस्तर सं- nil भाग- 2'ब' प्रस्तर सं- 1,2,3,4	तदैव	तदैव	---

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

..... शून्य .....

भाग-V

आभार

1). कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून, लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पिथौरागढ़ तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

अप्रस्तुत अभिलेख: शून्य

2). सतत् अनियमितताएः शून्य

3). लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया :

नाम	पदनाम	अवधि
श्री नितिन पाण्डे	अधिशासी अभियंता	विगत लेखापरीक्षा से दिनांक 25.01.2019 तक
श्री एल. सी. पाण्डे	अधिशासी अभियंता	दिनांक 25.01.2019 से अब तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति अधिशासी अभियंता, ग्रामीण निर्माण विभाग, प्रखण्ड- पिथौरागढ़ को इस आशय से प्रेषित कर दी गयी, जिसकी प्राप्ति के एक माह के अन्दर अनुपालन आख्या सीधे "उप-महालेखाकार/ सामाजिक क्षेत्र, कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखंड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून- 248001" को प्रेषित कर दी जाय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.